भारत गणराज्य

तथा

बुल्गारिया गणराज्य

के बीच आपसी विधि सहायता पर सिविल और वाणिज्यिक मामलों में संधि

बुल्गारिया गणराज्य और भारत गणराज्य, जिसे इसके बाद "संविदा पक्ष" के रूप में संदर्भित किया गया है;

सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विधि के क्षेत्र में सहयोग के विकास को महत्व देना;

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

भाग 1

सामान्य प्रावधान

अनुच्छेद 1

विधि सुरक्षा और विधि सहायता

1. एक संविदाकारी पक्ष के नागरिक दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में उनके विधियों द्वारा अनुमत सीमा तक अपने व्यक्ति के संबंध में समान विधि सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार प्राप्त वैसे ही होंगे जैसे अन्य संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को है।

2. उपरोक्त दोनों संविदाकारी पक्ष के विधि के अनुसार स्थापित विधि व्यक्तियों पर भी लागू होगा।

3. एक संविदाकारी पक्ष के नागरिक अन्य संविदाकारी पक्ष के न्यायालयों या अन्य विधि प्राधिकरणों तक स्वतंत्र और निर्बाध पहुंच के हकदार होंगे सिविल और वाणिज्यिक मामलों में समान शर्तों पर सक्षम होंगे जैसे अपने स्वयं के नागरिक हैं।

4. एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों के पास अन्य संविदाकारी पक्ष की अदालत की कार्यवाही उसी सीमा तक समान अधिकार और विशेषाधिकार होंगे जैसे अन्य संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को है।

5. संविदा करने वाले पक्ष अपने राष्ट्रीय विधान के अनुसार अपनी क्षमता के भीतर पारस्परिक विधि सहायता देंगे।

अनुच्छेद 2

संचार का माध्यम

विधि सहायता प्रदान करने में संविदाकारी पक्षकार के न्यायालयों और अन्य विधि प्राधिकरण केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करेंगे, जो होंगे:

बुल्गारिया गणराज्य के - न्याय मंत्रालय, भारत गणराज्य के - भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय।

केंद्रीय प्राधिकरण एक दूसरे के साथ सीधे संवाद करेंगे।

भाग द्वितीय

विधि सहायता के संबंध में सिविल और वाणिज्यिक मामले

अनुच्छेद 3

विधि सहायता का दायरा

सिविल और वाणिज्यिक मामलों में विधि सहायता में शामिल हैं:

1. दस्तावेजों या सम्मन की तामील और प्रेषण;

2. विधियों के बारे में जानकारी के अनुरोध पर प्रावधान, संबंधित राज्यों में लागू हैं या थे, और न्यायिक अधिकारियों द्वारा उन पर लागू करना;

3. वादियों, गवाहों और विशेषज्ञों से साक्ष्य लेना;

4. साक्ष्य प्रस्तुत करना;

5. विशेषज्ञ राय प्राप्त करना;

6. सिविल मामलों में आपराधिक अदालतें, मध्यस्थता निर्णय और निपटान सहित निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन;

7. कोई अन्य विधि सहायता करना।

अनुच्छेद 4

विधि सहायता के लिए अनुरोध

विधि सहायता के लिए अनुरोध लिखित रूप में किया जाएगा और इसमें शामिल होंगे:

1. अनुरोध करने वाले प्राधिकारी का पदनाम;

2. अनुरोधित प्राधिकारी का पदनाम ;

3. मामले की विशिष्टता जिसके संबंध में विधि सहायता है का अनुरोध किया है;

4. अनुरोध से संबंधित व्यक्तियों के नाम और उपनाम, उनकी नागरिकता की जानकारी, व्यवसाय और स्थायी या अस्थायी निवास। विधि व्यक्तियों के मामले में, उनके नाम और पते;

5. अनुरोध से संबंधित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों के नाम और पते; तथा

6. अनुरोध की सामग्री।

अनुच्छेद 5

क्रियान्वयन

1. विधि सहायता के अनुरोध को क्रियान्वित करने में अनुरोधित प्राधिकारी अपने राष्ट्रीय विधियों को लागू करेगा। हालांकि, अनुरोध करने वाले प्राधिकारी के अनुरोध पर, यह हो सकता है अनुरोध करने वाले संविदा पक्षकार के प्रक्रियात्मक नियमों को लागू करेगा जहां तक अनुरोधित संविदाकारी पक्ष के विधियों के साथ टकराव नहीं हो।

2. यदि अनुरोधित प्राधिकारी अनुरोध को निष्पादित करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध अग्रेषित करेगा और तदनुसार अनुरोध करने वाले प्राधिकरी को सूचित करेगा।

3. निष्पादन योग्य अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में अनुरोधित प्राधिकारी अनुरोध करने वाला प्राधिकारी को, रुचि रखने वाले पक्षकारों या उनके प्रतिनिधि को अनुरोध के निष्पादन का स्थान और समय सूचित करेगा।

4. अनुरोधित प्राधिकारी अनुरोध के निष्पादन के बाद अनुरोधकर्ता प्राधिकारी को दस्तावेज अग्रेषित करेगा। यदि अनुरोध के अनुसार विधि सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है तो यह अनुरोध वापस कर देगा और इसे निष्पादित करने में असमर्थता के कारणों को सूचित करेगा।

अनुच्छेद 6

दस्तावेजों या सम्मन की तामील

1. दस्तावेजों या सम्मन की तामील अनुरोधित संविदाकारी पक्षकार की विधि के अनुसार प्रभावित होगी। जब दस्तावेज़ या सम्मन अनुरोधित संविदाकारी पक्षकार की भाषा में तैयार नहीं किया गया है या साथ में अनुवाद नहीं है, यदि वह स्वीकार करने को तैयार है तो उन्हें प्राप्तकर्ता को सौंपा जा सकता है। ऐसे दस्तावेज़ या सम्मन को स्वीकार न करने की स्थिति में तामील हुआ नहीं माना जाएगा।

2. तामील के अनुरोध में पाने वाले का सही पता होना चाहिए और तामील किए जाने वाले दस्तावेज़ या सम्मन का शीर्षक होना चाहिए।

अनुच्छेद 7

दस्तावेजों या सम्मन की तामील का प्रमाण ।

दस्तावेजों या सम्मन की तामील अनुरोधित संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में लागू नियमों के अनुसार साबित की जाएगी । दिनांक और तामील के स्थान सेवा के साथ-साथ वह व्यक्ति जिसको दस्तावेज़ या सम्मन तामील किया जाना है तामील पत्र में इंगित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 8

राजनयिक मिशनों या कांसुलर कार्यालय के माध्यम से नागरिकों को दस्तावेजों और प्रश्नावली की तामील

संविदाकारी पक्षकार अपने राजनयिक मिशनों या कांसुलर कार्यालय के माध्यम से अपने स्वयं के नागरिकों को दस्तावेजों और प्रश्नावली की तामील करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी तामील के संबंध में कोई बाध्यता लागू नहीं की जाएगी।

अनुच्छेद 9

विदेश में गवाह या विशेषज्ञ को समन भेजना

1. यदि एक संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में न्यायिक कार्यवाही के दौरान एक गवाह या एक विशेषज्ञ की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता है, जो अन्य संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में रह रहे हैं समन तामील करने का अनुरोध उस संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को संबोधित होगा।

2. सम्मन व्यक्ति की अनुपस्थिति पर सम्मन में कोई दंड नहीं होगा।

3. गवाह या विशेषज्ञ, जो सम्मन के जवाब में अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वेच्छा से पेश हुआ है तो वह उस संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में नहीं होगा जिसमें उस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले उसके द्वारा किये गये अपराध पर मुकदमा चलाया, हिरासत में लिया या दंडित किया गया।

4. एक गवाह या विशेषज्ञ को इस छूट से वंचित किया जाएगा यदि वह अनुरोध करने वाले प्राधिकारी द्वारा सूचित किए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र को छोड़ने में विफल रहता है कि उसकी उपस्थिति अब आवश्यक नहीं है। ऐसी अवधि में वह अवधि शामिल नहीं होगी जिसके दौरान गवाह या विशेषज्ञ अनियंत्रित कारणों से अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र को छोड़ने में असमर्थ रहा।

5. गवाह और विशेषज्ञ जो अनुरोध पर अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्षकार के क्षेत्र में उपस्थित हुए हों को अनुरोध करने वाले प्राधिकारी द्वारा उनके यात्रा खर्च और उनके ठहरने से जुड़ी लागतों की प्रतिपूर्ति का अधिकार होगा। विशेषज्ञ भी एक परिक्षण करने के लिए पारिश्रमिक के हकदार होंगे। अनुरोध में प्रतिपूर्ति के बारे में जानकारी शामिल होगी जो कि अनुरोधित व्यक्ति इसके हकदार हैं; अनुरोध करने वाला संविदाकारी पक्षकार संबंधित खर्चों को कवर करने के लिए एक अग्रिम भुगतान का विवरण प्रदान करेगा।

6. संविदाकारी पक्षकार प्रश्नावली के आधार पर या अन्यथा अपने विधियों के प्रावधानों के अनुसार या जैसा भी मामला हो, गवाह का साक्ष्य लेने के लिए एक दूसरे को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे:, अनुरोधित संविदाकारी पक्ष के विधियों के अनुसार जिसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

नुच्छेद 10

दस्तावेजों की मान्यता

1. किसी न्यायालय, किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी या संविदाकारी पक्षकारों में से किसी एक के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी या प्रमाणित दस्तावेजों को उसके द्वारा विधिवत रूप से सील किए जाने पर प्रामाणिक माना जाएगा। एतद्द्वारा आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाले दस्तावेजों को अन्य संविदाकारी पक्ष के न्यायालयों और अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

2. एक संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में आधिकारिक माने जाने वाले दस्तावेजों में दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में भी आधिकारिक दस्तावेजों का प्रमाणिक शक्ति होगी।

अनुच्छेद 11

विधि सहायता की लागत

अनुरोधित संविदाकारी पक्ष आमतौर पर विधि सहायता लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं करेगा। तथापि, यदि अनुरोधित संविदाकारी पक्ष का अनुमानित या वास्तविक खर्च असाधारण राशि का हो, तो केंद्रीय प्राधिकरण एक दूसरे से परामर्श करेंगे और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान ढूंढेंगे।

अनुच्छेद 12

नागरिक स्थिति और अन्य दस्तावेजों के प्रमाण पत्र भेजना

संविदाकारी पक्ष अपने नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति के हितों से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज, बिना अनुवाद और नि: शुल्क, प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेज के अनुरोध पर, राजनयिक चैनलों द्वारा एक दूसरे को भेजने का वचन देते हैं।

अनुच्छेद 13

विधि सहायता से इंकार

अनुरोधित संविदाकारी पक्ष विधि सहायता से इनकार कर सकता है यदि उसे लगता है कि यह उसकी संप्रभुता, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो सकता है या उसके विधियों या अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के विपरीत है।

अनुच्छेद 14

विधि शुल्क और सुरक्षा के भुगतान से छूट

1. एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों को दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में विधि शुल्क और **सुरक्षा** के भुगतान से उन्हीं शर्तों के तहत और उस संविदाकारी पक्ष के नागरिकों के समान सीमा तक छूट दी जाएगी।

2. एक संविदाकारी पक्ष के नागरिकों और विधि व्यक्तियों को उसी शर्तों के तहत अदालतों या अन्य विधि अधिकारियों के समक्ष दावा दायर करने के लिए दूसरे संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र में सुरक्षा राशि जमा करने से छूट दी जाएगी और उसी सीमा तक नागरिकों और विधि व्यक्तियों के रूप में छूट दी जाएगी जैसे उस संविदाकारी पक्षकार के व्यक्तियों को है।

अनुच्छेद 15

व्यक्तिगत, वैवाहिक और संपत्ति की स्थिति पर दस्तावेज जारी करना

1. विधि शुल्क के भुगतान से छूट के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यक्तिगत, वैवाहिक और संपत्ति की स्थिति से संबंधित कोई दस्तावेज संविदाकारी पक्षकार के एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस क्षेत्र में जारी किया जाएगा जहां घोषणाकर्ता रहता है या निवास करता है।

2. यदि घोषणाकर्ता संविदा करने वाले पक्षों के क्षेत्रों में नहीं रहता है या निवास नहीं करता है, तो राज्य के राजनयिक मिशन या कांसुलर कार्यालय द्वारा जारी या प्रमाणित दस्तावेज, जिसका वह नागरिक है, पर्याप्त है।

3. विधि शुल्क के भुगतान से छूट के लिए आदेश पारित करने वाला न्यायालय उस प्राधिकारी से अनुरोध कर सकता है जिसने अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज़ जारी किया था।

भाग III

निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन

अनुच्छेद 16

नागरिक और वाणिज्यिक मामलों पर निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन तथा आपराधिक मामलों में दिये गये निर्णय में मौद्रिक भुगतान

1. संविदाकारी पक्षकार सिविल और वाणिज्यिक मामलों पर न्यायिक अधिकारियों के अंतिम और प्रभावी निर्णयों के साथ-साथ आपराधिक मामलों में मौद्रिक भुगतान देने के आदेशों को पारस्परिक रूप से मान्यता देंगे और लागू करेंगे।

2. संविदाकारी पक्षों के क्षेत्र में घोषणात्मक प्रकृति के निर्णय जिन्हें लागू करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें विशेष कार्यवाही के बिना समान रूप से मान्यता दी जाएगी।

3. निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित प्रक्रिया अनुरोध प्राप्तकर्ता पक्ष के विधियों के अधीन होगी।

अनुच्छेद 17

संलग्न दस्तावेज़

मान्यता और प्रवर्तन के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित होना चाहिए:

1) निर्णय की एक प्रति, अदालत द्वारा प्रमाणित, एक आधिकारिक दस्तावेज के साथ जिसमें कहा गया है कि निर्णय या डिक्री लागू करने योग्य है, अगर यह निर्णय के पाठ से स्पष्ट नहीं है;

2) एक दस्तावेज जिसके बाद एक सम्मन नियत समय और रूप में कम से कम एक बार प्रतिवादी को सौंप दिया गया हो, जिसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया या कार्यवाही में भाग नहीं लिया; तथा

3) अनुरोधित संविदाकारी पक्षकार की भाषा या अंग्रेजी भाषा में आवेदन और संलग्न दस्तावेजों का प्रमाणित अनुवाद।

अनुच्छेद 18

लागत

मान्यता और प्रवर्तन से संबंधित विधि लागतों को उस संविदाकारी पक्ष के विधि द्वारा विनियमित किया जाएगा जिसके क्षेत्र में निर्णय लागू किया जाना है।

अनुच्छेद 19

मध्यस्थता निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन

किसी एक संविदाकारी पक्ष में पारित मध्यस्थ निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन अन्य संविदाकारी पक्षकार में पंचाट निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन, 1958 (न्यूयॉर्क कन्वेंशन) और इसके राष्ट्रीय विधियों के अनुसार किया जाएगा।

अनुच्छेद 20

भाषाएँ

वर्तमान संधि का अनुपालन करते हुए, संविदाकारी पक्षकार अपनी राष्ट्रीय भाषा का उपयोग अन्य संविदाकारी पक्षकार की राष्ट्रीय भाषा में या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करते हुए करेंगे।

भाग IV

अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद 21

परामर्श

इस संधि की व्याख्या या कार्यान्वयन के संबंध में सभी मामलों का निपटारा संविदा पक्षों द्वारा संधि के अनुच्छेद 2 में उल्लिखित अधिकारियों के बीच परामर्श के माध्यम से किया जाएगा।

अनुच्छेद 22

प्रवर्तन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अधीन होगी और अनुसमर्थन के लिखतों के आदान-प्रदान के 30 वें दिन लागू होगी।

2. कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक चैनल के माध्यम से अन्य संविदाकारी पक्ष को नोटिस देकर किसी भी समय इस संधि को खत्म कर सकता है; और यदि ऐसा नोटिस दिया जाता है तो नोटिस की प्राप्ति के छह महीने बाद संधि प्रभावी नहीं होगी।

3. किसी भी संविदाकारी पक्ष की पहल के तहत इस संधि में संशोधन किये जा सकते हैं, जो इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार लागू होंगे।

सितंबर 2007 के 12वें दिन नई दिल्ली में हिंदी, बुल्गेरियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में किया गया, प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रामाणिक है। किसी भी व्याख्यात्मक अंतर के मामले में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

हस्ताक्षरित / -

भारत गणराज्य

हस्ताक्षरित / -

बुल्गारिया गणराज्य